



Neutral Citation No - 2026:AHC:28670

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2026 की 1900

हरि नारायण यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सिद्धार्थ खरे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिनकी सहायता श्री सिद्धार्थ खरे, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद ने यह कथन किया है कि उन्हें अनुदेशों की पूर्ण जानकारी प्राप्त है और वे प्रकरण में बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते और आगे उनका निवेदन है कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।

3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका प्रारंभिक चरण पर ही निर्णीत की जा रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. रिट याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि 08.06.1992 को उन्हें मूलतः चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर नियुक्त किया गया था और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जीवनपुर, आजमगढ़ में पदस्थापित किया गया था तथा 17.07.1992 को उनकी सेवाएँ पर्यवसित कर दी गईं और रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 1992 की शून्य दायर की जिसमें 01.09.1992 को एक आदेश पारित किया गया, जिसका उद्धरण निम्नानुसार है:-

"स्थायी अधिवक्ता प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु छः सप्ताह का समय माँगते हैं और उन्हें यह समय प्रदान किया जाता है। आदेश दिनांकित 17 जुलाई 1992, जिसकी प्रति याचिका के परिशिष्ट-4 के रूप में संलग्न है, का प्रवर्तन 08 दिसंबर 1992 तक स्थगित रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह स्थगन, जो पूर्वतर उपांतरण या निरसन के अधीन है, किसी अग्रिम आदेश के अभाव में 08 दिसंबर 1992 को स्वतः समाप्त हो जाएगा, याचिकाकर्ता का 08 दिसंबर 1992 तक पक्ष होने के कारण कि उनकी नियुक्ति 08 जून 1992 से छः माह की अवधि के लिए की गई है। यह प्रतिवादियों के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना है जिसके अंतर्गत वे याचिकाकर्ता को विषय-वस्तु पर अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो वे उचित समझें।"

5. तत्पश्चात् रिट याचिकाकर्ता का सेवा में पुनः स्थापित किया गया और नियमित वेतन संदत्त किया गया और तत्पश्चात् रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 1992 में एक और रिट याचिका दायर की। तथापि, दोनों रिट याचिकाएँ निष्फल होने के कारण खारिज कर दी गईं। रिट याचिकाकर्ता का यह भी पक्ष है कि 03.06.1993 को रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेशपुर, आजमगढ़ को किया गया और 25.06.1993 को रिट याचिकाकर्ता को उन्हें कार्यभार सौंपा गया तथा तत्पश्चात् 10.05.2005 को रिट याचिकाकर्ता की सेवाएँ नियमितीकृत की गईं। रिट याचिकाकर्ता का यह भी पक्ष है कि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कतिपय शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके अनुसरण में एक समिति गठित की गई, तथापि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच न तो लंबित है और न ही प्रत्याशित है तथा 31.07.2025 को रिट याचिकाकर्ता अधिवर्षिता प्राप्त हुए। रिट याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के पश्चात्, वे सेवानिवृत्ति-पश्चात् परिलाभों के हकदार हो गए और इस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संबंध में प्रतिवादियों के मध्य संसूचनाएँ की गई हैं तथा इस संबंध में रिट याचिकाकर्ता पत्रावली के पृष्ठ-73 पर निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को संबोधित संसूचनाओं दिनांकित 19.08.2025 एवं 14.01.2026 का आश्रय लेना चाहते हैं, जिनके द्वारा यद्यपि पेंशन संदाय की संस्तुति की गई है, किन्तु आज तक पेंशन संदत्त नहीं की गई है।

6. वर्तमान रिट याचिका में याचना यह है कि प्रतिवादियों को रिट याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार कड़ाई से न केवल वर्तमान पेंशन अपितु बकाया राशि सहित भी पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथमतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना अपेक्षित है।

8. विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त कार्यवाही पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार कड़ाई से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु अग्रसर होंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 3 यह पाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को समुचित सूचना देने के पश्चात् पत्रावली उस प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"